पत्रांक–03 / मोबाईल (अंचल)–09–03 / 2011– (3) / रा0, पटना–15, दिनांक– / 12 / 2014

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय :– **विभागीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दी गई सी0यू0जी0 सिम के विरूद्ध क्रय की जाने वाली मोबाईल के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु प्रति मोबाईल सेट रू0 5000.00 (पाँच हज़ार) की दर से कुल रू0 34,30,000.00 (चौंतीस लाख तीस हज़ार) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

2. विभागीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई सी0यू0जी0 सिम के विरूद्ध क्रय की जाने वाली मोबाईल के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु प्रति मोबाईल सेट रू0 5000.00 (पाँच हज़ार) की दर से कुल रू0 34,30,000.00 (चौंतीस लाख तीस हज़ार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस राशि की निकासी विभागीय / निदेशालय एवं संबंधित ज़िलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायगा। संबंधित ज़िलों के कोषागार / उप कोषागार से उक्त राशि की निकासी की जायगी।

4. वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त राशि का व्यय वहन मुख्य शीर्ष 2029 भू–राजस्व 104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध–0001 राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या–40 विपत्र कोड एन 2029001040001 के अन्तर्गत 1301 कार्यालय व्यय मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5. राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. सम्बन्धित समाहर्त्ता ज़िले में आवंटित सिम की संख्या के अनुसार विहित राशि के अन्तर्गत मोबाईल सेट का क्रय करेंगे।

7. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्यालय से सम्बन्धित पदाधिकारियों के लिए विहित राशि के अन्तर्गत मोबाईल सेट का क्रय विभागीय लेखा शाखा द्वारा किया जाएगा।

8. विभिन्न पदों के लिए आवंटित सिम के विरूद्ध सम्बन्धित पदस्थापित पदाधिकारी मोबाईल सेट प्राप्त करेंगे और स्थानान्तरण / अवकाश / सेवा–निवृत्ति / निलंबन / अन्य कारणों से पद खाली होने / करने की स्थिति में उक्त पद पर पदस्थापित / के प्रभारी पदाधिकारी को सिम सहित मोबाईल सेट प्राप्त कराएँगे।

9. क्रय किया गया मोबाईल सेट सम्बन्धित कार्यालय की सम्पत्ति मानी जाएगी।

10 सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा विहित राशि के अन्तर्गत ऐसा मोबाईल सेट क्रय किया जाएगा जो एन्ड्रॉएड (Android) हो तथा उसमें WHATSAPP की सुविधा हो।

11. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

12. प्रस्ताव में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03/मोबाईल (अंचल)–09–03/2011– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– /12/2014

प्रतिलिपि :–सभी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी ज़िला कोषागार पदाधिकारी/सभी ज़िला पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03/मोबाईल (अंचल)–09–03/2011– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– /12/2014

प्रतिलिपि :–विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना/ निदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03/मोबाईल (अंचल)–09–03/2011– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– /12/2014

प्रतिलिपि :–वित्त विभाग (बजट शाखा)/विभागीय बजट शाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03/मोबाईल (अंचल)–09–03/2011–548(3)/रा0, पटना–15, दिनांक–16/12/2014

प्रतिलिपि :–प्रबंधक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी सम्बन्धित को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।